



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No. : 1305.....

दिनांक/Date : 07.01.2021

॥ कार्यालय ज्ञाप ॥

विषय :- लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा या अन्य तकनीकी मूल्यांकन परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई चयन प्रक्रिया के दौरान की जाती है। अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थी को समस्त अर्हताओं व पात्रताओं का मिलान उनके द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले मूल अभिलेखों से किया जाता है। अब अभिलेख सत्यापन के समय ही अभ्यर्थियों से पद, विभाग, मण्डल या जिला आदि विकल्पों के चयन का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थीवार विकल्प, श्रेष्ठता सूची में स्थान, वर्ग, उपवर्ग, रिक्त पदों की संख्या के आधार पर ही पद एवं विभाग आवंटित किया जायेगा।

मा० उच्चन्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या-721/2019 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम राकेश सिंह परोड़िया व अन्य एवं विशेष अपील संख्या-722/2019 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम दलबीर सिंह दानू व अन्य मामले में तथा अन्य मामलों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवेदन के विकल्प चयन न होने के कारण मैरिट के आधार पर चयन के अवसर को समाप्त नहीं किया जा सकता एवं मेरिट ही चयन का मुख्य आधार है। इसके साथ ही आवेदन पत्रों में ही विकल्प लेने से अभ्यर्थियों द्वारा कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं जिससे बाद में विकल्प की प्राथमिकता देने में कठिनाई व जटिलता होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लिखित परीक्षा में चयन के उपरांत जो अभ्यर्थी सम्बंधित पद के लिए चयन के इच्छुक नहीं हैं उनके स्थान पर मैरिट में प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को शीघ्र स्थान मिल सके व उनके साथ भी न्यायपूर्ण कार्यवाही हो। इसके लिए आयोग की पूर्व बैठक में सर्वसम्मति के उपरांत अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के लिए निम्न नीति गठित की जाती है:-

1. चूंकि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा में भाग लेते हैं व ऑनलाइन आवेदन करते समय अर्हता व पात्रता संबंधी कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता इसलिए लिखित/शारीरिक दक्षता या अन्य तकनीकी परीक्षण के उपरांत अभिलेख सत्यान का चरण रखा गया है। इसी चरण में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर निर्णय होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही समय से पूर्ण न करने के कारण पद/विभाग/जिला/मण्डल का अन्तिम आवंटन में अधिक समय अथवा अनावश्यक रूप से विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण वरिष्ठता क्रम में प्रतीक्षारत वास्तविक अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो जाता है। अतएव इस आदेश के द्वारा अन्तिम आवंटन त्वरित गति एवं न्याय संगत करने के लिए प्राविधान किया जा रहा है।
3. चयन प्रक्रिया कम समय में संपन्न हो सके इसके लिए अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन के समय अभ्यर्थी का स्वयं उपरिथित होना आवश्यक है। अभिलेख सत्यापन के समय भी आयोग द्वारा बायोमेट्रिक

27

क्रमांक:—02

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता

- उपस्थिति ली जायगी। अतः तत्समय अभ्यर्थी का उपस्थित रहना अनिवार्य है।
4. अभिलेख सत्यापन में आये हुए अभ्यर्थी की सर्व प्रथम बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। अभ्यर्थी के औपबन्धिक प्रवेश पत्र के पीछे बायोमेट्रिक कर्मचारी के द्वारा लिखा जायेगा कि इनकी बायोमेट्रिक का प्रमाण पूर्व डेटा से सत्य पाया गया है।
 5. अभिलेख सत्यापन कराने के लिए आये हुए अभ्यर्थी से टीम के सदस्यों के द्वारा बायोमेट्रिक की रिपोर्ट देखी जायेगी। उसके बाद सभी अभिलेखों की सम्बंधित पद की पात्रता के अनुसार क्रम से दो प्रतियों में स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्राप्त की जायेगी। स्व-प्रमाणित छायाप्रति के अनुसार मूल अभिलेख का मिलान किया जायेगा कि किसी छायाप्रति में कोई तथ्य छुपाया तो नहीं गया है।
 6. अभिलेख सत्यापनकर्ता जब सभी अभिलेखों का पूर्ण रूप से सत्यापन कर लेता तब सभी रिक्त पदों की योग्यता व आयु सीमा तथा अन्य पात्रताओं को देखा जायेगा कि अभ्यर्थी किन-किन पदों व विभागों के लिए पात्र है साथ ही आवेद पत्र में भरी गई सूचना व प्रमाण पत्रों का मिलान किया जायेगा।
 7. आयोग के स्तर पर मूल अभिलेखों को देखे जाने का अर्थ यह है कि अभ्यर्थी द्वारा जो भी मूल अभिलेख आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा उससे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अर्हताओं का मिलान करना जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अभ्यर्थी संबंधित पद की पात्रता रखता है।
 8. अभिलेखों की जांच/मिलान के उपरांत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उपलब्ध पदों/विभागों/जिला/मण्डल का विकल्प लेने का अवसर मेरिट के आधार पर दिया जायगा। ज्ञातव्य है कि आयोग समान शैक्षिक अर्हता के पदों को क्लब (Club) कर विज्ञापन जारी कर रहा है। ऐसे में एक ही परीक्षा से विभिन्न विभागों, विभिन्न पदनामों, विभिन्न मंडलों/जिलों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपादित होती है ऐसे में विकल्प का चयन मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
 9. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर ही पदों, विभागों, मण्डलों एवं जिलों आदि का विकल्प चयन का अवसर दिया जायगा। अभ्यर्थी के सभी अभिलेख व पात्रता सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को उसकी पात्रता के अनुसार साफ्टवेयर में पदों को दिखाया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने इच्छा के अनुसार पदों व विभागों का क्रम देगा। अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि एक बार वरीयताक्रम देने के उपरान्त अभ्यर्थी इस वरीयताक्रम में पुनः परिवर्तन या बदल नहीं सकेगा, इसलिए पदों का क्रम सोच समझ कर ही भरें।
 10. अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत प्रक्रिया :—
 - 10.1. आयोग द्वारा एक साफ्टवेयर विकसित किया जायेगा, जिससे पद/विभाग/जपपद/मण्डल के विकल्प अभ्यर्थी द्वारा इस कार्य के लिए निर्धारित कम्प्यूटर टर्मिनल के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प की हार्ड कापी प्रिंट की जायेंगी, जिन पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसकी एक प्रति आयोग कार्यालय तथा दूसरी प्रति सम्बंधित अभ्यर्थी के पास रहेगी।
 - 10.2. यदि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है तब :—
 - 10.2.1. यदि अभिलेख सत्यापन में उनके अभिलेख सही पाये गये, तब अभ्यर्थी अपना विकल्प चयन आयोग के कम्प्यूटर टर्मिनल में लोड किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से करेगी/करेगा।

क्रमशः—03

10.2.2. यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन में दिये गये निर्धारित मानकों अथवा योग्यता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों का पूर्ण किये बिना ही सत्यापन में उपस्थित होता है, तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का या निर्धारित समय अवधि तक का अन्तिम अवसर दिया जायेगा, इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जायगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना अवशेष अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों/विभागों की वरीयता भर लें। यदि निर्धारित तिथि को वर्णित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वह संबंधित पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से समाप्त हो जायेगा।

10.2.3. यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करता है जो उस शैक्षिक अभिलेख के समकक्ष मान्य होगा या नहीं या सत्यापनकर्ता इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है कि अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए योग्यता रखता है या नहीं? ऐसी स्थिति में सम्बंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों को पृथक से एक पत्रावली में रखा जायेगा व इस पर अलग से निर्णय लिया जायगा। अभ्यर्थी औपबन्धिक (Provisional) विकल्प को चयन करेगा। इन अभ्यर्थियों के बारे में आयोग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा और अभ्यर्थी पात्र न होने की स्थिति में उन्हें सूचित किया जायेगा, जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी एवं दूसरी प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी।

10.3. यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित रहता है तो :—

10.3.1. अभिलेख सत्यापन के दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसे अभिलेख सत्यापन की समाप्ति की तिथि या उससे अगले कार्य दिवस में या 15 दिन जो भी अधिक हो, सत्यापन के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जायेगा। यदि उस तिथि को भी वह अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से समाप्त हो जायेगा।

10.4. यदि किन्हीं विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण (हास्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कही अन्यत्र जमा होना आदि) अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण/सकारण अनुरोध पत्र देगा, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11. अन्तिम आवंटन :—

11.1. प्रस्तर 10.2.2 एवं प्रस्तर 10.3.1 में जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से निरस्त किया गया है। उनको छोड़कर मैरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को पद/विभाग/जनपद/मण्डल आवंटन किया जायेगा।

11.2. प्रस्तर 10.2.2 एवं प्रस्तर 10.3.1 में जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से निरस्त किया गया है। उनको 15 दिन के अन्दर एक नोटिस दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने पर प्रस्तर 11.1 द्वारा आवंटन होने के कारण उन्हें अवशेष पदों पर ही विकल्प भरने का अवसर प्राप्त होगा। अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी इन पदों पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है और अन्तिम रूप से उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

12. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता व वास्तविकता (Veracity) की जांच संबंधित संस्थान या

21

विश्वविद्यालय से ही की जा सकती है व यह कार्यवाही संबंधित नियोक्ता का दायित्व है। अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यदि किसी अभिलेख के संबंध में स्थिति स्पष्ट न हो सके तो ऐसे मामलों में संबंधित विषय के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जायगा।

13. आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी प्रकार की अर्हताओं व पात्रताओं को पूर्ण करना अनिवार्य है ऐसे में लिखित परीक्षा में चयन होने पर उनके पास ये सभी अभिलेख धारित होना अनिवार्य है।
14. अभ्यर्थी जब किसी विभाग या पद के लिए योग्यता नहीं रखता है तो कम्प्यूटर पर अभ्यर्थी के नाम के नीचे पद कोड्स के आगे लिखे गये पद की स्थिति (Post Status) में Not eligible के विकल्प को चयन स्वयं सत्यापनकर्ता के द्वारा किया जायेगा, जिससे अभ्यर्थी के सामने लिखे गये पद/विभाग स्वतः ही हट जायें।
15. अभ्यर्थी को बताना होगा कि एक बार वरीयता क्रम देने के उपरान्त वह इस वरीयता क्रम में परिवर्तन या बदलाव नहीं सकता है, इसलिए पदों का क्रम सौच समझ कर ही भरें। प्रत्येक दिन का विवरण सत्यापन के दिन ही सत्यापन टीम द्वारा सत्यापन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
16. अपने लिए पदों की वरीयताक्रम को तय करने के लिए अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन विवरण देख सकते हैं तथा अभिलेख सत्यापन में आने से पूर्व अन्यत्र सलाह ले सकते हैं। अभिलेख सत्यापन की तिथि को इस संबंध में आयोग से किसी प्रकार का परामर्श/सहयोग की अपेक्षा नहीं की जायगी साथ ही बिना अधिक समय दिये अपना विकल्प चयन करना होगा। विस्तृत विज्ञापन विवरण में अभ्यर्थी यह भी देख लें कि किन पदों के लिए पात्र नहीं हैं व यह विवरण भी सत्यापन टीम के समक्ष रखें।
17. अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन की प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि या विवाद के प्रकट होने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के संबंध में आयोग द्वारा अब उपरोक्तानुसार कार्रवाई की जायगी। अभ्यर्थियों को इस नीति के संबंध में जानकारी हो इसके लिए इस कार्यालय ज्ञाप को “आयोग की वेबसाइट” पर यथा स्थान तथा “संवाद पृष्ठ” पर भी प्रकाशित किया जाय व “प्रेस नोट” के माध्यम से भी प्रसारित किया जाय।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
सचिव।

पृष्ठों / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, को मा० अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
5. आयोग के समस्त अनुभागों के कार्मिकों में परिचालन हेतु।


(संतोष बडोनी)
सचिव।